>

Title: Need to impose a ban on all the activities relating to land acquisition in the country keeping in view the proposed New Land Acquisition Bill by the Government.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में कहना चाहता हूं। देश में विद्यमान कृषि भूमि के अधिग्रहण को लेकर जो कानून है, उसके प्रति लोगों में भारी रोष है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है कि वह इस कानून को बदलने जा रही है। हाल ही में चार अगस्त को ग्रामीण विकास मंत्री जी ने बयान दिया था कि वह एलएआरआर, 2011 नया कानून लाने जा रहे हैं और यह कानून देश के किसानों के हित में होगा। हम सभी लोग उस कानून की प्रतीक्षा में हैं और किसान भी प्रतीक्षा में हैं। हम वर्षों से 1894 के ब्रिटिशकालीन कानून के खिलाफ आंदोलन करते आए हैं। इसमें किसानों का शोषण होता था। सौभाग्य से सरकार ने इस बात को माना और अब वह उस कानून को बदलने जा रही है। मैं आपके माध्यम से यह कहूंगा कि आज भी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही है, जिसे स्थगित करने की जरूरत है। मेरे यहां महाराष्ट्र में चंद्रपुर में एक ही जिले में करीब-करीब एक लाख दस हजार एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ है और अभी भी पचास हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण होने वाला है। किसान इसे लेकर चिंतित हैं। यही बात देश के सभी स्टेट में है, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, जहां माइनिंग का काम ज्यादा हो रहा है, माइनिंग क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण ज्यादा परिमाण में होता है। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि चंद्रपुर जिले में एक लाख दस हजार एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ है, किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। उस कानून के अंतर्गत कॉलम 47 (ए) में भूमि का अधिग्रहण करते समय आज भी जबरन भूमि को कब्जे में लिया जा रहा है। सौभाग्य से आज सभागृह में कृषि मंत्री जी बैठे हैं, भले ही ग्रामीण विकास मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं। मैं विनती करूंगा कि किसानों का जो शोषण हो रहा है, उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। सरकार ने माना है कि वह कानून गलत था। विलंब से ही सही सरकार उस कानून को बदलने जा रही है। कम से कम जो नया बिल आ रहा है, उसके पास होने तक, जिस-जिस स्टेट में भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, उस पर रोक लगायी जाए और जबरन भूमि का अधिग्रहण न हो। इससे जो किसान विस्थापित होने वाले हैं, उन्हें न्याय मिलेगा।

MR. CHAIRMAN : Shri Arjun Ram Meghwal and Shri Ravindra Kumar Pandey are permitted to associate with the matter raised by Shri Hansraj G. Ahir.